न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 17 आर 15/08–09

मनोहर चौधरी — अपीलकर्ता

बनाम

जतरु उरॉव वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

10
25.08.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 934/03–04 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 5.2.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश पारित किया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कमड़े	99	423	12 डिसमिल मध्ये 08 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन छपरबंदी एवं आवासीय है जिसमें बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही संरचना निर्मित है। यह जमीन कृषि कार्य के लिए व्यवहृत नहीं होता है। विवादित जमीन बकास्त भूँईहरी है जो खेवट नं0 10/11 के अंतर्गत देवा उरॉव, महली उरॉव, करमा उरॉव पिता भीखा उरॉव वो मांस्मात करमी पति भौता उरॉव वो भोक्ता उरॉव पिता भौता उरॉव के नाम दर्ज है। देवा उरॉव वगैरह ने विवादित जमीन 15.3.1953 को अपीलकर्ता को बिक्री किया एवं तभी से वे दखलकार हैं। बाद में जब देवा उरॉव वगैरह द्वारा विवादित जमीन पर फिर से दावा किया जाने लगा तो अपीलकर्ता ने टाइटल सूट नं0 1105/1967 दायर किया जिसमें 29.1.1968 को अपीलकर्ता को डिक्री प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता के नाम से कॉंके अंचल में दाखिल खारिज भी स्वीकृत हुआ है एवं लगान रसीद निर्गत होता है। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि यह मामला पूर्वादेश से प्रभावित है

क्योंकि देवा उरॉव वगैरह ने पहले भी एस ए आर वाद संख्या 13/1985 दायर किया था जो दिनांक 28.6.1985 को खारिज हो गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 की उपधारा 4 के प्रावधानों के तहत भूँईहरी जमीन की वारसी हेतु 12 बर्षों के अंदर ही वाद दायर किया जा सकता है। यह मामला कालबाधित है क्योंकि लगभग 50 बर्षों के बाद दायर किया गया है। 1986 के संशोधन के बाद भूँईहरी जमीन को भी धारा 71 ए की परिधि में लाया गया परन्तु यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हुआ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। उन्होंनें बताया कि विवादित जमीन अपीलकर्ता ने सादा पट्टा से 1953 में महली उरॉव से प्राप्त किया है। इनका यह भी कहना है कि टाइटल सूट 1105/1968 में आपसी समझौते के आधार पर डिक्री प्राप्त हुआ था एवं देवा उरॉव ने अपीलकर्ता का 1953 से दखल स्वीकार किया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित जमीन भूँईहरी महतोई है जिसके खेवटदार भीखा उरॉव थे। प्रतिवादी खेवटदार के वंशज हैं। खेसरा संख्या 423 का रकबा 12 डिसमिल है जिसमें से 8 डिसमिल अपीलकर्ता के नाम से है। अपीलकर्ता टाइटल सूट के आधार पर दावा करते हैं। अपीलकर्ता यह भी दावा करते हैं कि उनके नाम से नामांतरण हुआ है और लगान रसीद निर्गत होता है परन्तु भूँईहरी जमीन सरकार में निहित नहीं हुआ है। साथ ही विवादित जमीन महतोई होने के कारण बेलगान है अतः अपीलकर्ता का दावा गलत है। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि विवादित जमीन पर कोई संरचना नहीं है।

वर्तमान मामले में पूर्व में दायर भूमि वापसी वाद संख्या 13/85 में पारित दिनांक 28.6.85 का आदेश देखा गया। इसमें प्रथम पक्ष देवा उरॉव ईत्यादि और प्रतिवादी मनोहर चौधरी थे। उस वाद में भी खाता 99 खेसरा 423 पर विचार

किया गया था और अन्ततः देवा उरॉव द्वारा दायरवाद खारिज कर दिया गया। उस आदेश के विरुद्ध वे किसी उच्चतर न्यायालय की शरण में नहीं गये।

अतएव यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय का वाद संख्या 934/03–04 पूर्वादेश (रेसजुडीकाटा) से प्रभावित था। ऐसी स्थिति में एस ए आर न्यायालय द्वारा दिनांक 5.2.2008 को पारित आदेश को आंशिक रुप से निरस्त किया जाता है और 8 डिसमिल पर वर्तमान अपील को स्वीकृत किया जाता है। प्रदीप सिंह आर प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित भूमि वापसी आदेश यथावत रहेगा और अंचल अधिकारी, कॉके उन्हें उच्छेदित कर जतरु उरॉव वगैरह को दखल दहानी करायेंगे।

दिनांकः– 25.08.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।